

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्का दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- संजय कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 182A/2024

1. कान्ता देवी पत्नी हरपालसिंह जाति जाट निवासी नागोकी तहसील व जिला सिरसा।
2. मैना देवी पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी नागोकी तहसील व जिला सिरसा।

-- वादीयागण

बनाम

1. लिछमादेवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी 21 आर.डब्ल्यू.डी., सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी 21 आर.डब्ल्यू.डी., सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी 21 आर.डब्ल्यू.डी., सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 24.06.2024

वादी की ओर से श्री रायसिंह भाखर अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री संदीप कस्वां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.06.2024 को संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

- (क) वादीया संख्या 1 कान्ता देवी को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 654 आर.डी. के पत्थर नम्बर 217/319(100) किला नम्बर 23/2/0.089 हैक्टर, 24/0.253, 25/2/0.025 हैक्टर गै०मु० रास्ता, 25/3/0.177 हैक्टर, पत्थर नम्बर 217/320(113) किला नम्बर 1/2/0.090, 1/3/0.073, 1/4/0.090, 2 ता 4/0.759, 5/0.099, 6/0.078, 7/1/0.060, 7/2/0.155, 8/0.240, 9,10/0.506, 11/0.013, 12/0.089 हैक्टर।
- (ख) वादीया संख्या 2 मैना देवी को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 654 आर.डी. के पत्थर नम्बर 218/319(101) किला नम्बर 18,19/0.506, 21/1/0.228, 21/2/0.075 हैक्टर गै०मु० ढाणी, 22, 23/0.506, पत्थर नम्बर 218/320(112) किला नम्बर 1, 2, 3/0.759 हैक्टर, 8/0.139, 9/0.152, 10/0.177, पत्थर नम्बर 217/320(113) किला नम्बर 5/0.154, 6/0.124 हैक्टर।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी

आराजी के खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 654 आर.डी. के खाता संख्या 6/52, इसी चक के खाता संख्या 64/11 व इसी चक के खाता संख्या 250/63 मे से प्रतिवादीया संख्या 1 लिछमा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर



(संजय कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेनुपसहायक कलेक्टर  
पदेन टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---